IPO/614/RTI/MIBA/16 Rs. 10

12279/13/16
1338/2016 21/7/16

सेवा में,

सचिव
विदेश मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली – 110001

4348
26

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनायें आवेदक को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

1. संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.ओ.) की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता के लिए पिछले 20 वर्षों में कितने प्रयास किए गए तथा उन प्रयासों के विरोध में कितने देशों ने हिस्सा लिया उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। (UNP)
2. एन०एस०जी० (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) की सदस्यता के विषय में पिछले वर्षों में कितने प्रयास किए गए तथा प्रत्येक बार के प्रयासों में कितने देशों ने सदस्यता देने के विरोध में मत दिए उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए। (DISA)
3. एन०एस०जी० की सदस्यता के विषय में 24 जून 2016 की सोल बैठक में कितने देशों ने भारत के विरोध में मत दिया उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए। (DISA)
4. पूर्वी चीन सागर में भारत जापान एवं अमेरिका की सेनाओं द्वारा साझा युद्ध अभ्यास के पश्चात भी भारत को NSG की सदस्यता के लिए चीन के समर्थन की आशा थी? (EA, DISA)
5. विकास देशों का मुख्य बैंक (ब्रिक्स विकास बैंक) का मुख्यालय शंघाई में खोले जाने की क्या विशेष मजबूरी थी जबकि यह सभी समय से चर्चित था। (MER)

संलग्न:- पोस्टल आर्डर नं० 36F 493711 (10रु० का संलग्न है)

दिनांक:- 15-7-2016

आवेदक
महेश दत्त गौतम
डी०-308/09
नया विजय नगर
गाजियाबाद (उ०प्र०)

21/7/16

Points	Concerned Division
1	UNP
2, 3	DISA
4	EA
5	MER

25/7
SO(RTI)

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)

*****

सं : U.II/551/24/2016 दिनांक: 9 अगस्त 2016

सेवा में,

श्री महेश दत्त गौतम

D-30, सेक्टर-9

नया विजय नगर

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा प्रेषित, आर टी आई प्रार्थना-पत्र दिनांकित 15 जुलाई 2016 का संदर्भ लें, जो कि इस प्रभाग को दिनांक 26 जुलाई 2016 को प्राप्त हुआ है। आपके प्रार्थना पत्र में क्रम संख्या 1 पर इंगित भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए किए जा रहे प्रयासों से संबन्धित प्रश्न इस प्रभाग से संबन्धित है। तदनुसार प्रश्न संख्या 1 का उत्तर निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है

2॰ सरकार का यह मत है कि संयुक्त राष्ट्र और विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को समसामयिक भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करना चाहिए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई व अस्थाई सदस्यता की दोनों श्रेणियों में विस्तार समेत संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार अत्यावश्यक हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत विस्तारित सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य होने की सभी आवश्यक अर्हता रखता हैं।

भारत ने विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय व बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर अनेकों पहल की हैं। इन प्रयासों में जी -4 (चार राष्ट्रों का समूह जिनमें भारत के अलावा जापान ब्राज़ील व जर्मनी सम्मिलित हैं) व एल-69 (विकासशील देशों का समूह) दोनों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने के सक्रिय प्रयास सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में विचारधीन अंतरसरकारी वार्ता (Intergovernmental Process-IGN) के जरिए भी सुधार के प्रयास जारी हैं।

बहुत से राष्ट्रों ने भारत की इस पहल का समर्थन करने के साथ साथ भारत के स्थाई सदस्यता के दावे का भी समर्थन किया है। यह समर्थन भारत सरकार से द्विपक्षीय वार्ताओं समेत अन्य तरीकों व कई मंचो पर प्रदर्शित किया गया है। 2011-12 के दौरान भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य रहते हुए बेहतर कार्य प्रदर्शन ने भी भारत के स्थाई सदस्यता के दावे को मजबूती दी है।

हालांकि, यूनाइटेड फार कन्सेन्सस (UfC) नाम से गठित कुछ राष्ट्रों के समूह ने जिनमें अर्जेन्टीना, कनाडा, कोलम्बिया, कोस्टा-रिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, रिपब्लिक आफ कोरिया, सान मारिनों, स्पेन और तुर्की सम्मिलित हैं और जो केवल अस्थाई सदस्यता में वृद्धी चाहता है, स्थाई सदस्य संख्या में किसी भी वृदधी का पूर्णत विरोध किया है।

भारत ने सदस्य देशों में यथा संभव विचारों का मतैक्य बनाने के अपने प्रयास जारी रखे हैं जिससे स्थाई व अस्थाई दोनों श्रेणियों में सदस्यता का विस्तार करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अमल में लाए जा सकें। यद्यपि भारत की स्थाई सदस्यता के दावे पर तब ही विचार किया जाएगा जब सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप विस्तार की प्रकृति व सीमाओं पर सहमति बन जाएगी। अंततः सुरक्षा परिषद में विस्तार होने की सहमति होने पर स्थाई सदस्य दो तिहाई सदस्य देशों के समर्थन पर और यू एन चार्टर के उपबंधो के आधार पर चुने जाएंगे ।

3. यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इससे संबन्धित अपील इस उत्तर की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर श्री विश्वेश नेगी, निदेशक व प्रथम अपीलीय अधिकारी संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग, कक्ष संख्या 0102, जवाहर लाल नेहरू भवन, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली-110011, फोन 011-49018413 व फैक्स 011-49018412 को भेजी जा सकती है।

भवदीय

(बशीर अहमद)
अवर सचिव व केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
(संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक प्रभाग)
कक्ष संख्या 0104, जवाहर लाल नेहरू भवन
विदेश मंत्रालय, 23-D, जनपथ, नई दिल्ली-110011
फोन-011-49018411

प्रतिलिपि:

1. अवर सचिव (आर टी आई), विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ।